Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2024/231

Number of Case A/365/ Year 2024

इन्द्रजीत सिंह ... Versus ...लालाराम व अन्य

U/s - 212 R.T.A

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	अनुसार आयंदा दिनांक - 01/04/2026 को पेश हो। B/o रीडर	
01/4/26	पत्रावली पेश। वकलाय उप०। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 14 व 15 की तलबी के सम्बन्ध में समय चाहते हैं। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 09/4/26 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
9/4/26	पत्रावली पेश हुई। बहस व कुलाफ सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश सुनाने प्र.प. अन्तर्गत धारा 212 RTA, 1955 R/w 151 CPC हेतु आयंदा दिनांक 24/4/26 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
24/4/26	पत्रावली पेश हुई। व कुलाफ उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस व कुलाफ पर मनन किया गया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों का	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2024/231

Number of Case A/365/Year 2024

इन्द्राजसिंह के कां॰मु॰ Versus जालाराम व अन्य

u/s – 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	अवलोकन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र शर्ते-मार्ग स्थापित न होने एवं साक्षीन होने से अस्वीकार किया जाता है। विधिवत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से फारिग होकर दाखिल दफ्तर हो। [Signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर [Seal: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट [illegible] जोधपुर; सत्यमेव जयते]	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : मधुलिका सींवर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. : A/365/2024 (GCMS No 2024/231)

– : : अनवान् : : –

प्रार्थीगण :–

इन्द्राजसिंह के कायम मुकाम :–

1. नारायण सिंह पुत्र इन्द्राजसिंह,
2. गिरधारी सिंह पुत्र इन्द्राजसिंह,
3. गोविन्द सिंह पुत्र इन्द्राजसिंह,
4. बाग सिंह पुत्र इन्द्राजसिंह,
5. घेवर सिंह पुत्र इन्द्राजसिंह,
6. अणसी पुत्री इन्द्राजसिंह पत्नी माधोसिंह जाति राजपुरोहित निवासीगण चावण्डा तहसील व जिला जोधपुर।
7. सायर कंवर पुत्री इन्द्राजसिंह पत्नी नरपतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रूपावास, तहसील सोजत, जिला पाली।

– : **बनाम्** : –

अप्रार्थीगण :–

1. जालाराम पुत्र चुनाराम जाति बिश्नोई,
2. जेताराम पुत्र चुनाराम के कायम मुकाम :–

2/1. हुण्डी देवी पत्नी जेताराम जाति बिश्नोई,

2/2. भगवानाराम पुत्र जेताराम जाति बिश्नोई,

2/3. भंवरलाल पुत्र जेताराम जाति बिश्नोई निवासीगण सालोड़ी तहसील व जिला जोधपुर।

2/4. मोहनी देवी पुत्री जेताराम पत्नी रामरख जाति बिश्नोई निवासी जानाबानूजडा, भाखरी डेयरी तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

3. तेजाराम पुत्र चुनाराम जाति बिश्नोई के कायम मुकाम :–

3/1. पप्पुराम पुत्र तेजाराम,

3/2. हवड़ाराम पुत्र तेजाराम,

3/3. मोडाराम पुत्र तेजाराम,

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

3/4. भागीरथ पुत्र तेजाराम,

3/5. अशोक राम पुत्र तेजाराम,

4. चेनाराम पुत्र खेताराम जाति बिश्नोई,
5. राणाराम पुत्र देवाराम जाति बिश्नोई,
6. धीराराम पुत्र देवाराम जाति विश्नोई,
7. बाबुराम पुत्र जालाराम जाति बिश्नोई,
8. पप्पूराम पुत्र जालाराम जाति बिश्नोई,
9. रामसुख पुत्र धीराराम जाति बिश्नोई,
10. हरीराम पुत्र चैनाराम जाति बिश्नोई,
11. भंवरराम पुत्र चैनाराम जाति बिश्नोई,
12. पप्पूराम पुत्र राणाराम जाति बिश्नोई,
13. सुरजाराम पुत्र राणाराम जाति बिश्नोई,
14. रामबक्स पुत्र चुनाराम जाति बिश्नोई,
15. भलाराम पुत्र चुनाराम जाति बिश्नोई,

निवासीगण सालोडी तहसील व जिला जोधपुर।

– : : निर्णय : : – **दिनांक : 24.04.2026**

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्तागण –

1. श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री अक्षय कुमार दवे, डॉ. संजना धाणदिया एवं रेणु बोहरा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2/2, 2/3, 3/2, 3/3 तथा 4 से 15

उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण/वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है कि –

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध किया गया घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिये प्रस्तुत दावा माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। ग्राम चावण्डा तहसील जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा आयी हुई है, जिस पर सम्वत् 2012 के पूर्व से प्रार्थीगण के पिता इन्द्राजसिंह का तथा उनके देहान्त के बाद प्रार्थीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंण्ट के समय पड़ौसी खेताराम, देवाराम पुत्रगण चिमनाराम एवं फुलाराम पुत्र खुमाराम ने सेटलमेंण्ट कर्मचारियों से मिलीभगत कर राजस्व रेकर्ड पर्चा लगान में अपना नाम दर्ज करवा लिया, लेकिन प्रार्थीगण के पिता एवं अन्य मौजिज व्यक्तियो द्वारा समझाईश करने पर खेताराम वगैरा ने पर्चा

सहायक कलक्टर (सदर, द्वैत) जोधपुर

लगान अपने नाम गलत अंकन स्वीकार कर सहमति लिखकर तथा पर्चा लगान पर लिखकर पर्चा लगान प्रार्थीगण के पिता इन्द्राजसिंह को सौंप दिया, जिसके आधार पर इन्द्राज सिंह ने तहसीलदार जोधपुर के समक्ष राजस्व रेकर्ड के गलत इन्द्राज को दुरस्त कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार जोधपुर के बाद जांच अपने आदेश दिनांक 05–09–67 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा पर कब्जा काश्त गिरदावरी में इन्द्राजसिंह का नाम खातेदारी में अमल दरामद करने का आदेश पटवारी हल्का को दे दिया, जिसके आधार पर सन् 1974 में नामान्तरकरण संख्या 127 स्वीकार किया जाकर इन्द्राज सिंह को राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज कर दिया, तब से खातेदारी इन्द्राज सिंह एवं उनके देहान्त के बाद प्रार्थीगण के नाम चली आ रही है, जब तक सरकार द्वारा विघोड़ी ली थी, तब तक बिगोड़ी प्रार्थीगण के पिता इन्द्राज सिंह ने जमा करा दी। दिनांक 15–07–78 को अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों ने प्रार्थीगण के पिता के कब्जे काश्त में नाजायज दखल करके की कोशिश की तो इन्द्राज सिंह ने मौजूदा दावा पेश किया, जो राजस्व वाद दिनांक 15–09–1996 को एक प्रतिवादी खेता के देहान्त के कारण उसका पुत्र चैनाराम दावे में पक्षकार होते हुए भी दावा अबेट कर खारीज कर दिया। प्रार्थीगण के पिता ने उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश की जो आदेश दिनांक 07–06–2006 द्वारा स्वीकार कर आदेश दिनांक 19–09–1996 निरस्त कर दावे में नियमानुसार साक्ष्य व सुनवाई कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के लिए रिमाण्ड किया। रिमाण्ड के बाद पक्षकारों की ओर से साक्ष्य सबूत पेश किया तथा वादी को रिबटल शहादत पेश करने का अवसर दिये बिना तथा बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये पुनः वादी का दावा निर्णय दिनांक 24–11–2012 द्वारा खारीज कर दिया गया जिसके विरूद्ध प्राथीगण के पिता इन्द्राज सिंह ने पुनः राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश की जो अपील निर्णय दिनांक 19–08–2021 द्वारा स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–11–2012 निरस्त कर प्रकरण पक्षकारों को साक्ष्य व रिबटन साक्ष्य का अवसर देकर साक्ष्य सबूत का तर्क संगत व विधि सम्मत एवं न्यायोचित विश्लेषण करते हुए तनकी अनुसार निर्णय पारित करने के लिए प्रतिप्रेषित किया गया है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 11–08–2024 को विवादग्रस्त भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा करने की नियत से पत्थर रोंपने लगे तो प्रार्थी गोविन्द सिंह एवं अन्य ने उन्हें मना किया तो उन्होने नजदीक आने पर मारने की धमकी दी, जिसकी पुलिस थाना राजीव नगर जोधपुर के समक्ष रिपोर्ट की तो पुलिस ने अप्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं करने के लिए पाबंद किया। प्रार्थीगण के पिता विवादग्रस्त भूमि पर सम्वत् 2012 से पहले काबिज होने तथा उनके पिता द्वारा बीघोड़ी अदा करने से तथा खातेदारी दर्ज होने से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है, तथा तुलनात्मक सुविधा भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

ने प्रार्थीगण द्वारा दावा खारीज होने के बाद राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश की तो प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 16–01–2013 को राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखने का स्थगन आदेश पारित किया, जो अपील के निर्णय तक प्रभावी रहा। इस कारण प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि पर काबिज रहे तथा खातेदारी उनके नाम से चलती रही एवं आज भी प्रार्थीगण खातेदार दर्ज है, तथा काबिज है, लेकिन अप्रार्थीगण कभी भी जबरदस्ती नाजायज दखल करने की कोशिश कर सकते है। अतः जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। अगर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया तो वो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल करने की कोशिश कर सकते है, जिससे पक्षकारों में ओर विवाद बढ़ेगा, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि ताफैसला दावा को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा ग्राम ग्राम में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त चावण्डा में किसी प्रकार की दखल न तो स्वयं करे, तथा न अन्य किसी से करावे तथा विवादग्रस्त भूमि के कब्जे एवं राजस्व एवं मौके रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1, 2/2, 2/3, 3/2, 3/3 तथा 4 से 15 की ओर से अधिवक्ता अवतार सिंह गहलोत एवं हरिसिंह कच्छवाह तथा अप्रार्थी संख्या 13, 14, 23, 25, 26 की ओर से अधिवक्तागण श्री अक्षय कुमार दवे, डॉ. संजना धाणदिया एवं रेणु बोहरा ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 2/2, 2/3, 3/2, 3/3 तथा 4 से 15 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि –

पद सं० प्रार्थनापत्र जिस प्रकार से लिखा गया है वह पूर्ण रुप से सही नही होने के कारण गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा निराधार रुप से एक वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अवश्य किया है। किन्तु उसमें सफलता मिलने की कतई संभावना नही है। पद सं0 2 प्रार्थनापत्र गलत एवं अस्वीकार है। यह सर्वथा गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का आज दिन तक कभी भी किसी भी रुप में कब्जा रहा हो। वास्तव में खसरा नं0 737 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा ग्राम चावण्डा की भूमि की जागीरदार सासणदार बगसिह हनवन्तसिह थे। वादग्रस्त जायदाद कभी भी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त तथा उपयोग व उपभोग की नही रही थी। श्री बगसिह के भाईयों का वादग्रस्त जायदाद से किसी प्रकार से कोई सरोकार नही है प्रार्थी के पिता इन्द्रराजसिह बगसिंह के भाई जागसिंह का पुत्र था श्री जागसिह के कुल तीन पुत्र हुए थे जिनमें से एक इन्द्रराजसिंह तथा पूनमसिंह एवं डूंगसिंह अन्य पुत्र थ। यह सर्वथा गलत है कि संवत

सहायक कलक्टर

2012 अथवा अन्य किसी समय से इन्द्राजसिंह अथवा उनके वारिसान का वादग्रस्त जायदाद पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त अथवा उपयोग व उपभोग रहा हो। पद सं० 3 प्रार्थनापत्र गलत एवं अस्वीकार है। यह सर्वथा गलत है कि सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा चूनाराम तथा देवाराम एवं खेताराम का नाम मिलीभगत कर अथवा अन्य किसी प्रकार से अवैध व अनाधिकार रूप से इन्द्राज किये हो। वास्तव में ग्राम चावण्डा में बन्दोबस्त संवत 2007–2008 में हुआ। उसके पहले से ही वादग्रस्त भूमियों पर फूलाराम देवाराम तथा खेताराम का कब्जा काश्त बहैसियत बापीदार के ही था। मिसल बन्दोबस्त व शुरू से पर्चा लगान खतौनी उपरोक्त व्यक्तियों के नाम सही तौर पर जारी किये गये थे। जिसकी तस्दीक के जागीरदार के भी तस्दीकी के हस्ताक्षर है। प्रार्थीगण का काश्त संवत 2012 के पूर्व से करते रहना सर्वथा बनावटी लिखा गया है। भू राजस्व अभिलेखों में अथवा जागीर पुर्नग्रहण के किसी भी अभिलेख में यह भूमि खुद काश्त की नही होने से खुद काश्त दर्ज नही है। उक्त फूला देवा तथा खेता अनपढ गरीब काश्तकार थे, एवं इन्द्रराजसिंह जागीरदार का भाई होने से प्रेम रखते थे। इसलिए लगान जमा कराने को उसे देते थे। दस्तावेजात संभाल कर रखने के लिए उसके पास रख देते थे। यह सर्वथा गलत है कि लगान आज दिन तक कभी भी इन्द्रराजसिंह अथवा अप्रार्थीगण के पूर्वजों के अलावा अन्य किसी के द्वारा अदा किया गया हो। लगान फूला वगैरा इन्द्रराजसिंह के जरिये जमा करवाते थे व रसीदात भी फूला, देवा तथा खेता के नाम जारी होती थी। वादग्रस्त खेत खसरा नं० 737 में अप्रार्थीगण की ढाणीया बनी हुई है तथा वहीं निवास करते है व काश्त करते आ रहे है। यह सर्वथा गलत है कि खेता वगैरा द्वारा आज दिन तक कभी भी पर्चा लगान अथवा अन्य राजस्व रिकोर्ड के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित सहमति दी हो एवं ऐसी कोई सहमति इन्द्रराजसिंह अथवा अन्य किसी को सुपुर्द की गई हो। प्रार्थीगण द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अभिवचन लिखित किये गये है। इन्द्रराजसिह द्वारा मिलावटी तौर से अप्रार्थीगण को सूचना या नोटिस दिये बिना ही धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 5–9–1967 का आदेश दर्शाकर म्युटेशन अपने नाम से वर्ष 1974 में सरपंच से मिलावट कर भरवा दिया। जो सरपंच प्राथीगण का रिश्तेदार था, जिस बाबत कोई पत्रावली नही बनाई गई एवं इन्द्रराजसिंह द्वारा उक्त अपने नाम भरवाये गये म्युटेशन के विरूद्ध अप्रार्थी पक्ष की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। ऐसी दुरस्ती की कार्यवाही सर्वथा बनावटी व गलत है और तहसीलदार को धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आदेश देने या म्युटेशन भरने का अधिकार नही था। अवैध रूप से पारित नामान्तरकरण संख्या 126 को अप्रार्थीगण द्वारा अपील के जरिये चुनौति दी गई थी जो अपील माननीय जिला कलैक्टर महोदय जोधपुर द्वारा राजस्व अपील सं. 37 / 1986 बअनवान खेता वगैरा बनाम इन्द्राजसिह वगैरा का निस्तारण करते हुए दिनांक 3–6–1986 को स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा दर्शाया जा रहा नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

राजस्व रिकोर्ड के अवैध इन्द्राजात का प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नही रह जाते है। यह सर्वथा गलत है कि प्रार्थीगण द्वारा आज दिन तक कभी भी बिगोडी जमा करवाई गई हो। मौके पर अप्राथीगण का कब्जा बहैसियत खातेदार काश्तकार के दर्ज होना भी सिद्ध है। पद सं० 4 प्रार्थनापत्र जिस प्रकार से लिखा गया है वह पूर्ण रूप से सही नहीं होने के कारण गलत एवं अस्वीकार है। यह सर्वथा गलत है कि अप्राथीगण एवं इनके पूर्वजों द्वारा आज दिन तक कभी भी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलदांजी करने का प्रयास किया गया हो। वादग्रस्त जायदाद पर अप्रार्थीगण शुरू से ही काबिज है, प्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से वाद अवश्य ही प्रस्तुत किया गया है। जिसमें सफलता मिलने की कतई संभावना नहीं है। बकाया तथ्य रिकोर्ड से संबधित है जिसके जवाब की आवश्यकता नही है।

पद सं० 5 प्रार्थनापत्र जिस प्रकार से लिखा गया है वह पूर्ण रूप से सही नही होने के कारण गलत एवं अस्वीकार है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में विधिवत रूप से वाद निस्तारित किया गया था। किन्तु यह सर्वथ्ग गलत है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान को पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान किया गया हो। वास्तव में अपीलीय न्यायालय द्वारा वादीगण को तरदीदी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर अवश्य प्रदान किया गया है किन्तु वादीगण द्वारा मूलवाद में भी अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के विरूद्ध तरदीदी साक्ष्य के सीमित क्षेत्र से बाहर जाते हुए साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत की गई है जिस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा मूलवाद में आपत्तियां भी प्रस्तुत की जा चुकी है। पद सं० 6 प्रार्थनापत्र गलत एवं अस्वीकार है। यह सवर्था गलत है कि दिनांक 11–8–2024 अथवा अन्य किसी दिनांक को अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया हो। वादग्रस्त जायदाद पर अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही साधिकार काबिज है। पूर्व में भी वाद प्रस्तुतिकरण के समय वादी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध समान तथ्यों के आधार पर स्वयं का कब्जा दर्शाने के आशय से प्रथम सूचना रिपोर्ट अवश्य दर्ज करवाई गई थी किन्तु उक्त प्रकरण में भी बाद अनुसंधान फौजदारी न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों को सिद्ध नहीं मानते हुए अप्रार्थीगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में पुनः मिथ्या तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना राजीव नगर के जरिये वादग्रस्त जायदाद कुर्क करवाने के आशय से थानाधिकारी के साथ सांठ गांठ करते हुए प्रयास अवश्य किया गया था किन्तु प्रार्थीगण के नापाक उद्देश्यों की अप्रार्थीगण को जानकारी होने पर अप्राथीगण द्वारा उक्त अनुसंधान स्थानान्तरित भी करवाया गया है। जिस अनुसंधान में भी वादग्रस्त जायदाद पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त प्रार्थीगण का नही होना अनुसंधान अधिकारी द्वारा तथा स्वीकार किया जा चुका है तथा एफ. आर. प्रस्तुत की जा चुकी है। यह भी सर्वथा गलत है कि प्रार्थीगण को किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जा नही करने हेतु पाबन्द किया गया हो बल्कि प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि पर पूर्व से निर्मित तारबन्दी

जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी जिसे जीर्णोद्धार करवा रहे थे उसे अवश्य ही पुलिस द्वारा रूकवाया गया था किन्तु अनुसंधान स्थानान्तरित होने के पश्चात तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी से अनुमति लेकर प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर सम्पूर्ण तारबन्दी पूर्ण की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में यह सर्वथा मिथ्या सिद्ध हो जाता है कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर आज दिन तक किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा अधिकार अथवा कब्जा तथा उपयोग व उपभोग रहा हो। पद सं० 7 प्रार्थनापत्र गलत एवं अस्वीकार है। यह सर्वथा गलत है कि प्रार्थी पक्ष वादग्रस्त जायदाद पर संवत 2012 अथवा उससे पूर्व अथवा आज दिन तक कभी भी काबिज रहे हो। यह भी सर्वथा गलत है कि प्रार्थी द्वारा आज दिन तक कभी भी बिगोडी राशि अदा की गई हो। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त जायदाद में स्वयं के हक व अधिकार नामान्तरकरण संख्या 126 के आधार पर होने का कथन कर रहे है। जबकि उक्त नामान्तरकरण माननीय जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 37/1986 का निस्तारण करते हुए दिनांक 3–6–1986 को निरस्त किया जा चुका है। स्वीकृत रूप से वादग्रस्त जायदाद पर प्रार्थीगण का कब्जा भी नही है एवं न ही प्रार्थीगण के हक में किसी प्रकार के कोई स्वामित्व संबंधित विधिवत दस्तावेजात भी है। ऐसी स्थिति में स्वामित्व एवं कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण निषेधाज्ञा के अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं रह जाते है। जिस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया वाद सिद्ध है एवं न ही सुविधा का सतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। केवल मात्र प्रथम दृष्टया वाद का कथन करने मात्र से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद उत्पन्न नही हो जाता है। पद सं० 8 प्रार्थनापत्र गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा इस पद में पूर्व के पदों एवं मूलवाद वादपत्र से विरोधाभाषी कथन किये गये है। जब प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद ही खारिज हो चुका था तो ऐसी स्थिति में उसकी पालना में किसी प्रकार के परिणामणिक रूप से राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन किया जाना भी संभव नही था यह सर्वथा गलत है कि प्रार्थीगण का इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड में विधिवत रूप से किया गया हो उक्त इन्द्राजात को माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। जिस कारण प्रार्थीगण अवैध राजस्व इन्द्राजात से किसी प्रकार का कोई हक अधिकार क्लेम करने के अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त जायदाद पर प्रार्थीगण का न तो स्वामित्व है एवं नहीं कब्जा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण न्यायालय हाजा से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। पद सं० 9 प्रार्थनापत्र गलत एवं अस्वीकार है। चूंकि प्रार्थीगण के हक में न तो प्रथम दृष्टया वाद सिद्ध है एवं न ही सुविधा का सतुलन भी है एवं न ही अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी सिद्ध है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विधि अनुसार न्यायालय हाजा से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही रह जाते है। प्रार्थीगण द्वारा समान तथ्यों के आधार पर पूर्व मे भी दो अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा चुका था। जिनका निस्तारण भी न्यायालय द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। जो निर्णय भी मौजूदा प्रकरण के निस्तारण हेतु अत्यन्त ही सुसंगत तथ्य

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

रह जाते है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त समस्त सारभूत तथ्यों को छुपाते हुए मौजूदा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह सिद्ध है कि प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण साम्या के सिद्धान्त के आधार पर न्यायालय हाजा से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही रह जाते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नही होने के कारण इसी स्तर पर सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मय दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन, अवलोकन किया। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। उभयपक्षकार अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं :–

पत्रावली के अवलोकंन से यह स्पष्ट हैं कि वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी चावण्डा, तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 373 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा भूमि के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 92 ए प्रस्तुत किया गया है। अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में भी वाद एवं अपील की कार्यवाही संपन्न हो चुकी है, जिसमें विभिन्न समय पर आदेश पारित हुए तथा प्रकरण को पुनः विचारार्थ रिमांड भी किया गया। वर्तमान प्रार्थना पत्र उसी विवाद की निरंतरता में प्रस्तुत किया गया है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु निम्न तीन तत्वों का परीक्षण आवश्यक है, जो कि निम्नानुसार हैं :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–**

   अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में कई बार वाद एवं अपीलीय कार्यवाही संपन्न हो चुकी है। विभिन्न स्तरों पर वाद खारिज हुआ तथा पुनः अपील में रिमांड किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का अधिकार अभी तक निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि प्रार्थी के पक्ष में की गई राजस्व प्रविष्टियां पूर्व में निरस्त की जा चुकी हैं तथा प्रार्थी द्वारा कब्जा सिद्ध करने हेतु कोई स्वतंत्र एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा पूर्व वादों के परिणामों को पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि उसने न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं। अतः न्यायालय की दृष्टि में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया सुदृढ़ मामला स्थापित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलन :–**

   सुविधा के संतुलन के परीक्षण में यह देखा जाना आवश्यक है कि निषेधाज्ञा प्रदान करने से किस पक्ष को अधिक हानि या लाभ होगा। वर्तमान प्रकरण में कब्जे की स्थिति विवादित

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

है तथा प्रार्थी का कब्जा स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं है। यदि इस अवस्था मे निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है तो इससे अप्रार्थीगण को अधिक असुविधा कारित करने की प्रबल संभावना रहेगी। इसके विपरीत यदि निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है तो प्रार्थी अपने अधिकारों के निर्धारण हेतु मुख्य वाद में विधिक उपायों का सहारा ले सकते हैं। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में स्थापित नहीं होता है।

3: **अपूरणीय क्षति :–**

प्रार्थी द्वारा यह सिद्ध करना आवश्यक है कि निषेधाज्ञा न मिलने पर उसे ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। प्रार्थी इस प्रकार की कोई विशेष परिस्थिति सिद्ध करने में असफल रहा है। साथ ही, प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाना यह दर्शाता है कि वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है, जो कि निषेधाज्ञा जैसे समतुल्य राहत प्रदान करने में बाधक है। अतः अपूर्णीय क्षति का तत्व भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

प्रार्थीगण द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों तत्व –प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति – सिद्ध नहीं किए गए हैं।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् समझते है।

: : आदेश : :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भंली–भांति साबित नहीं होने एवं सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या एक से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मधुलिका [illegible])
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मधुलिका [illegible])
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर